मुख्य - मुख्य विशेषताएं

ग्रामीण आर्थिक परिदृश्य और नीतिगत मामले

विश्व अर्थव्यवस्था

1. एशियाई, अमेरिकी तथा यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल असर डालने वाली कुछ घटनाओं के बावजूद विश्व अर्थव्यवस्था मजबूत और व्यापक हुई है. यह इसी बात से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2002-04 में विश्व सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा व्यापार मात्रा में क्रमशः 1.6 तथा 3.7 प्रतिशत बिंदुओं की बढ़ोतरी हुई. इसी अवधि में, अन्यों की अपेक्षा विकसित देशों के जीडीपी में अधिक (1.8 प्रतिशत बिंदु) वृद्धि हुई.

भारतीय अर्थव्यवस्था

2. भारतीय अर्थव्यवस्था में 2003-04 के दौरान उल्लेखनीय सुधार आया. इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में अनुमानतः 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2002-03 में यह वृद्धि केवल 4 प्रतिशत थी. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से उत्पन्न सकल घरेलू उत्पाद में 2003-04 के दौरान 9.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष इसमें 5.2 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि हुई थी. उद्योग और सेवा क्षेत्र ने भी गति बनाए रखी और वर्ष 2002-03 के 6.4 और 7.1 प्रतिशत के मुकाबले इन क्षेत्रों से हुई जीडीपी वृद्धि वर्ष 2003-04 में बढ़कर क्रमशः 6.5 और 8.00 प्रतिशत हो गई.

3. वर्ष 2003 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान, देश में कुल 92.2 सें.मी. वर्षा हुई, जबकि 2002 में 67.3 सें.मी. वर्षा हुई थी. वर्षा सुसंतुलित रूप से हुई, समय एवं स्थान के हिसाब से उसका वितरण साम्यिक रहा और बीच-बीच में लंबे-लंबे अंतराल नहीं रहे जिससे कृषि क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में तेज़ी आई. वर्ष 2003 में 75 प्रतिशत जिलों और 92 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र में वर्षा सामान्य/अधिक थी, जबकि 2002 में ऐसी स्थिति 44 प्रतिशत जिलों और 37 प्रतिशत सकल फसली क्षेत्र में थी. देश के अधिकांश भागों में सामान्य/अधिक वर्षा और उसके सुसंतुलित वितरण के परिणामस्वरूप अधिकांश फसलों के क्षेत्र में वृद्धि हुई. 2002-03 की तुलना में, 2003-04 के दौरान, चावल, गेहूं, मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों के क्षेत्र में क्रमशः 12, 10, 11, 22 और 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई. खाद्यान्नों के उत्पादन में भी 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 210.8 मिलियन टन तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 174.2 मिलियन टन था. कृषि उत्पादन अनुमानतः 19.3 प्रतिशत बढ़ा जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसमें 15.6 प्रतिशत की गिरावट रही थी.

5. कुल सकल घरेलू उत्पाद में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा 24.3 प्रतिशत (2001-02) से घटकर 22.2 प्रतिशत (2003-04) रह गया, जबकि इसी अवधि में सेवा क्षेत्र के हिस्से में लगातार वृद्धि हुई है और यह 54.6 प्रतिशत से बढ़कर 56.1 प्रतिशत हो गया है. उद्योग का हिस्सा आमतौर पर वही अर्थात् 1993-94 की कीमतों पर 21 से 22 प्रतिशत के बीच रहा है.

6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचत की दर, उपादान लागत (फैक्टर कॉस्ट) पर, 2002-03 के दौरान बढ़कर 24.2 हो गई, जबकि 2001-02 के दौरान यह 23.5 थी. सकल घरेलू पूंजी निर्माण की दर में कुछ सुधार आया और यह 2002-03 के दौरान 23.3 प्रतिशत हो गई, जबकि 2001-02 के दौरान यह 23.1 प्रतिशत थी.

7. अब तक, देश की 139.9 मिलियन हेक्टेयर की आकलित अंतिम सिंचाई संभाव्यता में से, केवल 68 प्रतिशत का ही उपयोग किया गया है. दस राज्यों में पूरे किए गए भूगत जल आकलन में 774 ब्लॉकों/तालुकों/वाटरशेडों/उप-इकाइयों को डार्क/क्रिटिकल तथा अति अवशोषित निर्दिष्ट किया गया है. इन इलाकों में बैंक ऋण द्वारा, जल-संरक्षण गतिविधियों को मदद देने की ज़रूरत है. आगामी दशक तक खाद्यान्न उत्पादन दोगुना करने के राष्ट्रीय कृषि नीति के अधिदेश के अनुसरण में, विभिन्न विकास कार्य आरंभ करने और वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की दृष्टि से, लघु सिंचाई क्षेत्र, नाबार्ड के लिए एक थ्रस्ट-क्षेत्र बन गया है. लघु सिंचाई संरचनाओं में निवेश से दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान 12 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई संभाव्यता निर्मित होने की संभावना है.

8. सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गये कृषि ऋण की कुल मात्रा में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2002-03 में रु.69,560 करोड़ के स्तर तक पहुंच गया. अनुमान है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को आधार स्तरीय ऋण प्रवाह रु.80,000 करोड़ तक पहुंच गया होगा. अर्थात इसमें 2003-04 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में, अनुमानतः 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों को ऋण का अनुमानित प्रवाह रु.7,36,570 करोड़ लक्ष्यित है.

9. कृषि में निजी क्षेत्र का निवेश (1993-94 की कीमतों पर) 2000-01 के दौरान रु.12,979 करोड़ था जो 2002-03 के दौरान बढ़कर रु.14,119 करोड़ हो गया. सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इसी अवधि में ये रु.3,927 करोड़ से बढ़कर रु. 4,538 करोड़ हो गये. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश वर्तमान कीमतों पर 1995-96 के रु.14,605 करोड़ से बढ़कर 2000-01 के दौरान रु.26,569 करोड़ हो गये. संस्थागत वित्त द्वारा वित्तपोषित इस प्रकार के पूंजी निर्माण का अनुपात इसी अवधि के दौरान 59.6 से बढ़कर 81.1 प्रतिशत हो गया, जिससे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने में वित्तीय संस्थाओं द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका प्रतिबिम्बित होती है.

10. विश्व में सर्वाधिक पशुधन भारत में है और यह दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है. 2002-03 के दौरान यहां दूध का कुल उत्पादन 86.4 मिलियन टन हुआ. 2001-02 के दौरान, वर्तमान कीमतों पर पशुधन क्षेत्र का हिस्सा कुल सकल घरेलू उत्पाद में 5.4 प्रतिशत और कृषि से हुए सकल घरेलू उत्पाद में 27.7 प्रतिशत था. 2003-04 (अप्रैल-जनवरी) में दूध और डेरी उत्पादों का निर्यात, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के, 26.0 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 27.0 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया.

11. मत्स्यपालन से, कुल सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत और कृषि क्षेत्र से मिलने वाले सकल घरेलू उत्पाद का 5.4 प्रतिशत आता है और इसमें 14 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है, जो कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि से तीव्र है. 2002-03 के दौरान मत्स्य उत्पादन 6.2 मिलियन टन के स्तर तक पहुंच गया. मत्स्य निर्यात की वर्तमान मात्रा कुल मत्स्य उत्पादन का केवल 7.6 प्रतिशत है जबकि विश्व का प्रतिशत 11 है.

12. वर्ष 2002-03 के दौरान, लघु उद्योग क्षेत्र में, उत्पादन, रोजगार और निर्यातों की दृष्टि से, पिछले वर्ष की तुलना में, क्रमशः 10.5, 7.3 और 20.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

13. देश के कुल निर्यात में कृषि-निर्यात का मूल्य 1990-91 के 18.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2002-03 के दौरान 13.1 प्रतिशत रह गया जबकि इसी अवधि में कृषि आयात 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 5.8 प्रतिशत हो गया. कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा 2002-03 (अप्रैल-फरवरी) में 12.9 प्रतिशत था जबकि 2003-04 के दौरान इसी अविध में यह घटकर 11.7 प्रतिशत रह गया. खाद्य और अन्य मदों से संबंधित कृषि आयात वर्ष में 3,282.2 मिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ जो वर्ष 2003-04 (अप्रैल-फरवरी) में कुल आयात का 4.8 प्रतिशत था.

14. समन्वित विकास करने और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण के प्रयोजन से, राज्य सरकारों ने कई कृषि सुधार उपाय किये जिनमें कृषि विपणन, सिंचाई और जल-आपूर्ति, कृषि-प्रसंस्करण, कृषि से संबंधित आधारभूत सुविधाओं आदि के विकास कार्य विशेष रूप से शामिल हैं.

विकास कार्य

कृषि क्षेत्र

15. राष्ट्रीय बैंक ने वाटरशेड विकास, पिछड़े क्षेत्रों के समन्वित विकास, औषधीय पौधों की खेती के संवर्धन, कृषि निर्यात अंचलों, कृषक सेवा केन्द्रों, कृषि-क्लिनिकों की स्थापना में सहायता, कृषीतर गतिविधियों के विकास, सूक्ष्म वित्त कार्यों के माध्यम से ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली की पहुंच में सुधार, कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अनुसंधान व विकास गतिविधियों में सहायता और ग्रामीण बैंकिंग कार्मिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा.

16. वर्ष के दौरान, क्षमता निर्माण चरण के अंतर्गत रु. 2.72 करोड़ की अनुदान सहायता वाली 54 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनसे स्वीकृत परियोजनाओं की संचयी संख्या बढ़कर 274 और स्वीकृत अनुदान सहायता की संचयी राशि बढ़कर रु.13.12 करोड़ हो गई. अब तक रु.11.47 करोड़ की राशि

कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को जारी की जा चुकी है. इसके अलावा, 37 परियोजनाएं पूर्ण कार्यान्वयन चरण में प्रवेश भी कर चुकी हैं. वाटरशेड विकास के सहभागिता दृष्टिकोण के सकारात्मक प्रभाव पर बल देने के प्रयोजन से, 'वाटरशेड परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन एवं मूल्यांकन और वाटरशेड विकासोत्तर कार्यनीतियां' पर राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला मई 2003 में आयोजित की गई.

17. विभिन्न ऋण एवं विकास कार्यक्रमों/योजनाओं को मिलाकर पिछड़े ब्लाकों के समन्वित विकास की प्रायोगिक परियोजना, पांच राज्यों के 10 ब्लाकों में आरंभ की गई. इन ब्लाकों में स्वयं सहायता समूहों के निर्माण, कृषक क्लबों के गठन, कृषि और कृषीतर गतिविधियों के संवर्धन आदि के लिए ठोस प्रयास किये जा रहे हैं. साथ ही, आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि से सहायता उपलब्ध कराने की संभावना का भी पता लगाया जा रहा है.

18. वर्ष के दौरान, लघु/सीमान्त कृषकों द्वारा भूमि की खरीद के वित्तपोषण की योजना के अंतर्गत रु.41.50 करोड़ की राशि संवितरित की गई, ताकि वे कृषि/परती/बंजर भूमियों का विकास और उन पर खेती कर सकें. मौजूदा प्रसार नेटवर्क की अनुपूर्ति के प्रयोजन से, कृषि/पशुचिकित्सा स्नातकों द्वारा कृषि-क्लिनिकों और कृषि व्यापार केन्द्रों की स्थापना में सहायता की योजना वर्ष के दौरान जारी रही. वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं और योजना के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं की जांच के प्रयोजन से, नाबार्ड ने एक अध्ययन भी किया. फीडबैक के आधार पर कृषि-उद्यमियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के मामले में बैंकरों को जागरूक करने के लिए नाबार्ड ने अपने प्रयासों को तेज किया है.

19. 'नेशनल मिशन ऑन बम्बू टेक्नालाजी एण्ड ट्रेड डेवलपमेन्ट' द्वारा तैयार की गई कार्य योजना के अनुरूप, राष्ट्रीय बैंक ने बांस क्षेत्र को एक विशेष दर्जा दिया है और अपने प्रधान कार्यालय में एक 'बांस कक्ष' स्थापित किया है. साथ ही, बैंक ने, केन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत तंत्रों के अंतर्गत नर्सरी नेटवर्क के वित्तपोषण के लिए एक भावी आयोजना भी तैयार की है, जिसमें संभाव्यता वाले राज्यों में दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 1,000 करोड़ रुपये के निवेश परिव्यय से 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बांस-रोपण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.

20. नाबार्ड ने, विभिन्न उपायों और कारपोरेट घरानों के साथ बातचीत के माध्यम से, औषधीय एवं सगंध फसलों की खेती का संवर्धन जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात के वाडी परियोजना क्षेत्रों में ठेका खेती प्रणाली के अंतर्गत *बिक्सा* और *पचौली* की खेती की गई. इन पहलों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि निर्माताओं और व्यापारियों की राज्य-वार निर्देशिकाएं तैयार की गईं और उच्च मांग वाली प्रजातियों की 45 बैंक साध्य मॉडल योजनाएं बनाई गईं. बैंक ने 20 फसलों के 48 अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्रों के अंतर्गत अपने सभी ग्राहक संस्थाओं को और सभी गतिविधियों के लिए भी अपनी पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराई. एक विशिष्ट पुनर्वित्त पैकेज भी ठेका खेती की व्यवस्थाओं के लिए बैंक द्वारा विकसित किया गया.

21. भारतीय कृषकों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनके सशक्तीकरण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के प्रयोजन से आइटीसी लि. के माध्यम से चार राज्यों के 12,000 गांवों में 2,150 ई-चौपालों की स्थापना की गई. आईटीसी, लि. को 9 लाख रुपये की अनुदान सहायता मंजूर की गई, जिसका प्रयोजन मुख्य फसलों के उत्पादन और सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-आधारित प्रैक्टिकल हैण्डबुक तैयार करने और निदान-साधन विकसित करने के प्रयोजन से एक परियोजना चलाना है.

22. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, महिन्द्रा शुभलाभ सर्विसेज लिमिटेड (एमएसएसएल) के सहयोग से कृषक सेवा केन्द्रों के वित्तपोषण की बैंक की योजना जारी रही और वर्ष के दौरान तीन नये कृषक सेवा केन्द्र खोले गये, जिससे महिन्द्रा शुभलाभ सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कृषक सेवा केन्द्रों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है. इसके परिणामस्वरूप, किसानों को 10 करोड़ रुपये की राशि के वित्तपोषण हेतु बैंकों के साथ ताल-मेल व्यवस्था हुई है.

23. नाबार्ड ने जीवन बीमा निगम, नेशनल स्टाक एक्सचेंज, आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और क्रिसिल के साथ मिलकर 'नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज' (एनसीडेक्स) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ओपन जनरल लाइसेंस श्रेणी वाले अधिकांश जिन्सों को अपने दायरे में लेना है. एक स्टेकहोल्डर के रूप में, नाबार्ड , कृषि ऋण के समन्वयन, कृषि उत्पाद और वायदा बाजारों के प्रतिभूतिकरण और राज्य/जिला स्तरीय सहकारी विपणन समितियों के क्षमता-निर्माण में सहायता करेगा.

24. वर्ष के दौरान बैंक अधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों को औषधीय और सगंध फसलों की खेती के प्रति

प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से कई प्रशिक्षण-सह-परिचय कार्यक्रम आयोजित किए गए. जैव खेती के प्रोत्साहन और पशुपालन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए.

गैर-कृषि क्षेत्र

25. नाबार्ड ने, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से छोटे उधारकर्ताओं के लाभ के लिए एक स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की, ताकि उनकी निवेश और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. इस योजना को सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में परिचालित किया गया. वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत, 28,925 कार्डों के माध्यम से रु.64.26 करोड़ की राशि संवितरित की गई.

26. जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना इस वर्ष 16 और जिलों में लागू की गई, जिससे 20 राज्यों में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 75 हो गई. इस परियोजना के अंतर्गत क्रेडिट प्लस पर बल दिया गया, जिसमें क्लस्टर विकास, ऋण वितरण के अभिनव तरीकों तथा संवर्धनात्मक कार्यक्रम आदि शामिल थे. इनके अलावा, बाजार से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के निर्माण में सहायता, ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन और पार्टनर संस्थाओं के क्षमता निर्माण को भी प्रोत्साहित किया गया. साथ ही जिला ग्रामीण उद्योग परियोजना वाले जिलों में ग्रामीण हाटों के विकास के प्रयोजन से, वर्ष के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं/प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को रु.26.24 लाख की अनुदान सहायता भी मंजूर की गई. अब तक (मार्च 2003), 4.29 लाख इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है, जिनसे 43 जिलों में 9.18 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर निर्मित हुए हैं.

27. राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, बैंक ने, अब तक 55 क्लस्टरों में क्लस्टर विकास के, रु.1.55 करोड़ की अनुदान सहायता वाले, संवर्धन कार्यक्रम आरंभ किये हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है. इस कार्यक्रम से 16,000 कारीगरों और लघु उद्यमियों को लाभ होने की आशा है. इसके अलावा, नाबार्ड ने वर्ष के दौरान, रु.5.63 करोड़ की अनुदान सहायता वाले 1,216 ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के लिए भी सहायता प्रदान की, जिनमें 31,319 शिक्षित बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को शामिल किया गया. 1990 में इस कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक 1.51 लाख ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जा चुका है.

28. नाबार्ड ने, ग्रामीण औद्योगिक/कृषीतर क्षेत्र इकाइयों द्वारा सब-कान्ट्रैक्टिंग में सहायता के प्रयोजन से, मूल इकाइयों का कार्यक्रम जारी रखा. अब तक रु.3.33 करोड़ मंजूर किए जा चुके हैं और रु.1.88 करोड़ संवितरित किये जा चुके हैं, जिनमें 3,400 उद्यमों की स्थापना और 7,087 ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए 30 मूल इकाइयों को शामिल किया गया है. इस सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 8,500 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के निर्माण में सहायता मिली है.

29. बैंक ने, हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन के अपने प्रयास, 'हथकरघा बुनकरों हेतु कौशल उन्नयन और डिजाइन विकास' (सुधा) नामक अपनी योजना के माध्यम से जारी रखे, जिसमें हथकरघा उत्पादों की विपणनीयता बढ़ाने के लिए नयी डिजाइनों के विकास का संवर्धन किया जाता है. वर्ष के दौरान,रु.10.71 लाख की अनुदान सहायता वाले, चार कार्यक्रम मंजूर किये गये.

30. नाबार्ड ने जेंडर विकास कार्यक्रमों - 'अरविंद' और 'महिमा' - के लिए सहायता देना जारी रखा. अब तक अरविंद और महिमा के अंतर्गत क्रमशः 128 परियोजनाओं के लिए रु.2.99 करोड़ और 26 परियोजनाओं के लिए रु.59.26 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की जा चुकी है. वर्ष के दौरान, अरविंद और महिमा के अंतर्गत क्रमशः रु. 3.77 लाख की अनुदान सहायता वाली चार और रु.11.70 लाख की अनुदान सहायता वाली सात परियोजनाएं मंजूर की गईं. इसके अलावा, महिलाओं के प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण के प्रयोजन से, बैंक ने 'क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का विकास(देवता)' के अंतर्गत तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को रु.31.98 लाख मंजूर किये. वर्ष के दौरान नाबार्ड ने 'महिला विकास कक्षों' की स्थापना के लिए सहकारी बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को रु.17.70 लाख की अनुदान सहायता दी और इस राशि को मिलाकर संचयी वितरण रु.2.42 करोड़ हो गया है. नाबार्ड की विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं के तहत संवर्धित ग्रामीण शिल्पकारों और महिला उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उठाए गए कदमों में से बैंक द्वारा 'दिल्ली हाट' में आयोजित नाबार्ड उत्सव भी एक प्रयास था.

सूक्ष्मवित्त

31. स्वयं सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम वर्ष 2003-04 के दौरान भी नाबार्ड के कार्यों का प्रमुख क्षेत्र बना रहा. वर्ष के दौरान 3,61,731 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से सहबद्ध

किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत वृद्धि थी. कार्यक्रम के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों में लगभग 90 प्रतिशत महिला स्वयं सहायता समूह हैं. वर्ष के दौरान कई राज्यों में इस कार्यक्रम में चौमुखी विकास हुआ. नाबार्ड ने अतिरिक्त जोर देते हुए क्षमता निर्माण के अपने प्रयास जारी रखे तथा अपनी सहभागी एजेन्सियों को संवर्धनात्मक अनुदान सहायता प्रदान की जिससे उनको स्वयं सहायता संवर्धन संस्था के रूप में कार्य करने में मदद मिल सके. नाबार्ड द्वारा अपनी पार्टनर संस्थाओं के क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान 2.44 लाख सहभागियों को प्रशिक्षित किया गया.

32. वर्ष के दौरान 60,513 स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए 28 सहकारी बैंकों, 23 क्षेग्रा बैंकों, 221 गैर-सरकारी संगठनों और 60 आईआरवी को रु.662.44 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गयी. बैंक के विकास वालंटियर वाहिनी कार्यक्रम के तहत 119 किसान क्लबों को रु.2.43 लाख की अनुदान सहायता उपलब्ध करायी गयी जिससे वे स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन कर सके. वर्ष के दौरान क्लबों द्वारा 1,229 स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन किया गया और 409 स्व.स. समूहों को ऋण से जोड़ा गया.

33. नाबार्ड, वित्तीय मध्यस्थता के लिए चुने हुए गैर-सरकारी संगठनों को परिक्रामी निधि सहायता (आरएफए) उपलब्ध कराता है. वर्ष के दौरान दो गैर-सरकारी संगठनों को रु.8.40 करोड़ की आरएफए मंजूर की गयी जिससे 32 एजेन्सियों को दी गयी संचयी मंजूरी बढ़कर रु.27.32 करोड़ हो गयी जिसमें से 29 एजेन्सियों को रु.15.20 करोड़ जारी किया जा चुका है.

34. इस कार्यक्रम को नवोन्मेषी और धारणीय बनाने के लिए बैंक ने अपने प्रयासों को जारी रखते हुए वर्ष के दौरान छह प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारम्भ की हैं. ये परियोजनाएं हैं : ग्रामीण वालंटियरों के साथ मिलकर स्वस समूहों एवं बैंकों के बीच स्वस्थ प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) की स्थापना के लिए 'बेयरफूट बुक कीपर्स', तमिलनाडु में स्वस समूहों को ग्रामीण डाकघरों से सहबद्ध करना, ग्रामीण कुशल युवाओं को कम्प्यूटर मुंशी के रूप में प्रशिक्षण देना, उड़ीसा के कालाहाण्डी जिले में तीन अनाज बैंकों की स्थापना, बड़ी संख्या में स्वस समूहों के खातों के अनुप्रवर्तन एवं रख-रखाव के लिए प्रोसेसर/मेमेरी कार्ड (स्मार्ट कार्ड) के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग और संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से मध्य घटक ग्राहकों का वित्तपोषण.

35. नाबार्ड में स्थापित सूक्ष्म वित्त विकास निधि में से वर्ष के दौरान रु.7.05 करोड़ का उपयोग स्वस समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए किया गया. इस निधि से रु.3.22 करोड़ का उपयोग, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को परिक्रामी निधि सहायता के रूप में ऋण उपलब्ध कराने में भी किया गया. कार्यक्रम को सहायता देने और मजबूत बनाने के लिए एसडीसी और जीटीजेड जैसी विदेशी संस्थाओं के साथ नाबार्ड का सहयोग वर्ष के दौरान जारी रहा.

अनुसंधान और विकास गतिविधियां

36. वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास निधि से रु.6.70 करोड़ अनुदान सहायता के रूप में वितरित किए गए जिसमें प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए रु.5.51 करोड़, अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों के लिए रु.0.27 करोड़, संगोष्ठियों के आयोजन, प्रासंगिक आलेख तैयार करने आदि जैसी अन्य गतिविधियों के लिए रु.0.92 करोड़ शामिल हैं. वर्ष 2003-04 के दौरान रु.52.23 लाख की अनुदान सहायता वाली 14 अनुसंधान परियोजनाओं/अध्ययनों को मंजूरी दी गई, और पूर्व में मंजूर पांच परियोजनाएं/अध्ययन पूरे किए गए. बैंक ने अपने लाभ-हानि खाते से अनुसंधान और विकास निधि की प्रतिपूर्ति करने का भी निर्णय लिया जिससे किसी भी वर्ष में प्रारंभिक शेष रु.50 करोड़ बना रहे.

37. वर्ष के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों को 79 सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए रु.47.45 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की गई. वर्ष के दौरान, चार प्रासंगिक आलेखों का प्रकाशन किया गया और कृषि ऋण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नीति विषयक मुद्दों पर सूचना प्राप्त करने और उसका प्रसार करने के लिए इस प्रकार के आलेख तैयार करने के उद्देश्य से तेरह विषयों की पहचान कर उन्हें विभिन्न विशेषज्ञों को सौंपा भी गया.

अन्य विकास पहल कदमियां

38. वर्ष के दौरान प्राथमिक ऋण वितरक संस्थाओं (पीएलआई) और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं (आरएफआई) के 11,145 कार्मिकों के लिए बैंक ने अपने प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से 429 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और इस क्षेत्र में अन्य संस्थाओं के

प्रयासों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवा कर उनके प्रयासों की अनुपूर्ति की. भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान, गुवाहाटी और एमडीएमआई, शिलांग को रु.23.21 लाख की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई जिससे वे पूर्वोत्तर क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की जरूरतों को पूरा कर सकें.

39. वर्ष के दौरान 8 नए जिविप्र कार्यालय खोले गए जिससे इनकी कुल संख्या 338 हो गई. 103 जिलों को पड़ोस के जिविप्र कार्यालयों से सम्बद्ध भी किया गया. जिन जिलों में बैंक का जिविप्र कार्यालय नहीं है, उनका कार्य संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर बैंक के जिला विकास अधिकारियों द्वारा किया जाता है.

कारोबारी परिचालन

40. कृषि और आधारभूत सुविधाओं के विकास और ऋण वितरण मैकेनिज्म के माध्यम से भारतीय कृषि की दक्षता, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 03 फरवरी 2004 को रु.50,000 करोड़ की लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि की स्थापना की घोषणा की. निधि के परिचालन के लिए नोडल एजेन्सी का कार्य नाबार्ड के जिम्मे है. राज्य सरकारों के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं के लिए वित्तपोषण, कृषि और वाणिज्यिक आधारभूत सुविधाओं में निवेश हेतु पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराना, चयनित सह-वित्तपोषण तथा विकास और जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य से कुछ पहल कदमियां करना इस निधि के तीन प्रमुख घटक हैं.

आधार स्तरीय ऋण

41. वर्ष 2003-04 के दौरान कृषि और अनुषंगी गतिविधियों के लिए आधार स्तर पर कुल ऋण प्रवाह रु.80,000 करोड़ होने का अनुमान है जो कि गतवर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है. वर्ष 1998-99 से 2002-03 तक की अवधि में सहकारी बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और वाणिज्य बैंकों से सामान्य ऋण व्यवस्था के प्रवाह में क्रमशः 11, 25 और 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई. इसमें वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 50 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गया जबकि सहकारी बैंकों का हिस्सा 43 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत रह गया. वर्ष 1998-99 और 2002-03 के बीच अल्पावधि उत्पादन ऋण (फसली ऋण), भूमि विकास, हाई-टेक कृषि, बागान और बागवानी के लिए ऋण संवितरण में तो काफी वृद्धि हुई जबकि अन्य क्षेत्रों अर्थात लघु सिंचाई और कृषि मशीनीकरण के लिए वह यथावत बना रहा. वर्ष 1998-99 और 2002-03 के दौरान फसल उत्पादन, भण्डारण और मंडी स्थलों, पशुपालन और वृक्षारोपण एवं फलोद्यान के लिए ऋण वितरण में काफी वृद्धि रही.

42. अगस्त 1998 में प्रारम्भ की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना से मौसमी कृषि परिचालनों हेतु अल्पावधि (एसटी) फसली ऋणों को बढ़ाने में मदद मिली है. वर्ष के दौरान सहकारी बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और वाणिज्य बैंकों ने क्रमशः 48.78 लाख, 12.74 लाख और 30.73 लाख कार्ड जारी किए. अब तक जारी कुल 413.79 लाख कार्डों में सहकारी बैंकों का हिस्सा सबसे अधिक (59%) रहा जिसके बाद वाणिज्य बैंकों (32%) और क्षेग्रा बैंकों (9%) का स्थान रहा. यद्यपि, अधिकांश राज्यों में योजना में बहुत अच्छी प्रगति हुई फिर भी बिहार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में योजना में और गति लाने के लिए विशेष प्रयास किए गए. पुनश्च योजना का प्रचार सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख मेघदूत पोस्ट कार्ड जारी किए गए.

उत्पादन ऋण

43. वर्ष 2003-04 (जुलाई-मार्च) के दौरान रास बैंकों और क्षेग्रा बैंकों को मंजूर की गई कुल अल्पावधि (एसटी) ऋण सीमाएं क्रमशः रु.7,314.28 करोड़ और रु.1,346.62 करोड़ की रहीं और उन पर बकायों का स्तर क्रमशः 73 और 69 प्रतिशत तक पहुंचा. वर्ष 2003-04 के लिए सहकारी बैंकों को अल्पावधि कृषि/अनुषंगी और विपणन गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए एक नई ऋण व्यवस्था प्रारम्भ की गई जिससे उन्हें तरलता उपलब्ध हो सके और ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए अधिक लागत वाली निधियों से प्रभावी ढंग से राहत मिल सके. सात रास बैंकों को कुल रु.484.09 करोड़ की ऋण सीमाएं मंजूर की गई जिनमें से रु.195.48 करोड़ का उपयोग किया गया. फसली ऋणों पर ब्याज दर घटाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने रिज़र्व बैंक के परामर्श से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर सीधे जिमस बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने की एक योजना बनाई. योजना को राज्य सरकारों की सहमति से लागू किया जाना है.

44. बैंक ने बुनकर सहकारी संस्थाओं की उत्पादन/प्रापण और विपणन गतिविधियों और हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगमों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए पुनर्वित्त के माध्यम से ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की सहायता करना जारी रखा. वर्ष के दौरान बुनकर सहकारी समितियों की उत्पादन/प्रापण और विपणन गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए सात रास बैंकों को कुल रु.520.60 करोड़ की अल्पावधि सीमाएं मंजूर की गईं इसके समक्ष अधिकतम् बकाए की राशि रु.309.75 करोड़ तक पहुंची. धागे के व्यवसाय हेतु शीर्ष/क्षेत्रीय बुनकर समितियों के लिए रास बैंकों को मंजूर सीमाएं रु.11.86 करोड़ की रहीं. फसलों के विपणन के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड ने क्षेग्रा बैंकों के लिए एक अलग क्रेडिट लाइन प्रारम्भ की. क्षेग्रा बैंकों को मंजूर अल्पावधि (मौकृपरिचालन से इतर) ऋण की सीमाएं कुल रु.86.02 करोड़ की रहीं.

45. प्राकृतिक आपदाओं के कारण असिंचित क्षेत्रों में फसल के 50 प्रतिशत या अधिक नुकसान के कारण, वर्ष के दौरान 7 रास बैंकों को कुल रु.288.02 करोड़ (जुलाई-मार्च) की मध्यावधि परिवर्तन ऋण-सीमाएं मंजूर की गईं.

46. वर्ष 2003-04 के दौरान सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए छह राज्यों को रु.39.54 करोड़ का दीर्घावधि ऋण मंजूर किया गया. पुनर्वित्त सहायता पर ब्याज की दर दो बार घटाई गई और 13 फरवरी 2004 से ब्याज-दर 5.25 और 6.50 प्रतिशत के बीच रही.

47. वर्ष 2003-04 के दौरान ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था के अंतर्गत पन्द्रह अनुप्रवर्तन-अध्ययन किए गए और उनके निष्कर्षों के आधार पर सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे बड़े अग्रिमों के मूल्यांकन और अपने अनुप्रवर्तन तंत्र की गुणवत्ता में सुधार लाएं. नीतिगत पहल के रूप में वर्ष के दौरान महाराष्ट्र रास बैंक / जिमस बैंकों ने चीनी मिलों के सीजन के पहले के खर्चों के लिए दी जाने वाली ऋण सीमा में 33.33 प्रतिशत की कटौती की ताकि चीनी सेक्टर में इन बैंकों के एक्सपोजर का स्तर कम किया जा सके. भारत सरकार की, 20 लाख टन चीनी का बफर-स्टॉक तैयार करने की घोषणा के अनुसरण में, नाबार्ड ने रास बैंकों/जिमस बैंकों को सूचित किया कि वे चीनी मिलों को, वर्तमान स्टॉक पर मार्जिन जारी करने के समक्ष अतिरिक्त ऋण सीमाएं मंजूर करें और यह सुनिश्चित करें कि मार्जिन राशि के बदले की इस राशि का उपयोग चीनी की फैक्टरियों द्वारा खरीदे गए गन्ने के भुगतान को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता.

निवेश ऋण

48. वर्ष 2003-04 के दौरान वाणिज्य बैंकों, रास बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों, क्षेग्रा बैंकों और अन्य पात्र वित्तीय संस्थाओं को निवेश ऋण के लिए कुल रु.7,605.29 करोड़ का पुनर्वित्त संवितरित किया गया. पुनर्वित्त सहायता में अत्यल्प वृद्धि (3%) का मुख्य कारण यह रहा कि क्षेग्रा बैंक और वाणिज्य बैंक पर्याप्त तरलता की स्थिति में थे. सहकारी बैंकों की ऋण-आपूर्ति क्षमता की कमजोर स्थिति भी इसमें कारण रही. योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत सहकारी बैंकों तथा क्षेग्रा बैंकों द्वारा पुनर्वित्त आहरण के लिए पात्रता के जो मानदंड वसूली पर आधारित थे उनके स्थान पर अनुत्पादक आस्तियों (एनपीए) को पात्रता का आधार बनाया गया. वर्ष के दौरान योजनाबद्ध ऋण में रासकृग्रावि बैंकों का हिस्सा घटकर 33 प्रतिशत (2002-03 के दौरान 38%) रह गया जबकि वाणिज्य बैंकों का हिस्सा बढ़कर 23 प्रतिशत (2002-03 के दौरान 17%)हो गया.

49. पुनर्वित्त प्रवाह के मामले में, विभिन्न राज्यों के बीच व्यापक भिन्नता रही. तीन राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश (रु.1,221.79 करोड़), तमिलनाडु (रु.733.10 करोड़) और पंजाब (रु.676.18 करोड़) ने मिलकर, वर्ष के दौरान संवितरित पुनर्वित्त का 35 प्रतिशत हिस्सा लिया. निवेश ऋण के लिए संवितरित पुनर्वित का सबसे बड़ा हिस्सा (31%) गैर-कृषि क्षेत्र (ग्रामीण आवास सहित) के लिए रहा, जिसके बाद क्रमशः पशुपालन, कृषि मशीनीकरण, लघु सिंचाई / भूमि विकास (प्रत्येक 11%) और स्वयं सहायता समूह (9%) और अन्य (27%) का स्थान रहा. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान ग्रामीण आवास के लिए संवितरित पुनर्वित्त में 34 प्रतिशत और स्वयं सहायता समूहों के लिए संवितरित पुनर्वित्त में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कृषि निर्यात क्षेत्रों में पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए बैंक के प्रयासों के अंतर्गत पुनर्वित्त संवितरण वर्ष 2002-03 में हुए रु.45 करोड़ के संवितरण से बढ़कर वर्ष 2003-04 में रु.343 करोड़ हो गया.

50. वर्ष के दौरान, 3,61,731 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया. स्वस समूहों को पिछले वर्ष संवितरित रु.1,022.34 करोड़ के मुकाबले कुल रु. 1,855.53 करोड़ का

ऋण संवितरण किया गया. वर्ष 2003-04 में 1,17,409 स्वस समूहों की सहायता के लिए नाबार्ड ने रु.705.44 करोड़ का पुनर्वित्त दिया.

51. वर्ष के दौरान 11 वाणिज्य बैंकों के साथ सह-वित्तपोषण की सात परियोजनाएं मंजूर की गईं जिनका कुल परिव्यय रु.118.90 करोड़ और उसमें नाबार्ड का हिस्सा रु.35.97 करोड़ था.

52. वर्ष के दौरान ब्याज दरों में चार बार संशोधन किया गया और विभिन्न प्रयोजनों / क्षेत्रों के लिए इस समय ब्याज दरें 5.50 और 6.75 प्रतिशत के बीच हैं.

53. वर्ष के दौरान बैंक ने 31 जिला-उन्मुख अनुप्रवर्तन अध्ययन, 27 निवेश-विशिष्ट अध्ययन, 11 योजना-विशिष्ट अध्ययन और 9 एक्स-पोस्ट मूल्यांकन अध्ययन किए.

54. कुल नौ विदेशी-सहायता प्राप्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में थीं और पांच परियोजनाएं विचाराधीन थीं. इन परियोजनाओं के अंतर्गत, वर्ष के दौरान रु.40.96 करोड़ की राशि संवितरित की गई और रु.32.41 करोड़ की राशि अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त की गई.

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास

55. वर्ष के दौरान ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि में आरआईडीएफ-IX के लिए रु.5,500 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ, जिससे संचयी मंजूरी की राशि रु.34,000 करोड़ हो गई. इस समूह निधि की साठ प्रतिशत राशि बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई, कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए निर्धारित थी. फरवरी 2004 में नाबार्ड में रु.50,000 करोड़ की लोकनायक जयप्रकाश नारायण निधि / कृषि आधारभूत सुविधा और ऋण निधि स्थापित की गई जिससे विभिन्न दीर्घावधि वित्तप्रदाताओं से दक्षतापूर्वक संसाधन जुटाए जा सकें और बाज़ार से संसाधन के प्रवाह को कृषि / ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण की ओर गतिशील किया जा सके. तीन वर्षों (2004-07) की अवधि में राज्य सरकारों को आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए ऋण मंजूर करने हेतु रु.30,000 करोड़ की राशि आबंटित की गई है.

56. वर्ष के दौरान आरआईडीएफ IX के अंतर्गत रु.5,437.51 करोड़ की ऋण राशि की 20,178 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें 47 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों व पुलों के लिए, 35 प्रतिशत सिंचाई के लिए और शेष राशि अन्यों के लिए थीं. पंचायती राज संस्थाओं / गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान कुल रु.43.20 करोड़ के ऋण मंजूर किए. वर्ष के दौरान, आरआईडीएफ के अंतर्गत वाणिज्य बैंकों से रु.2,158.69 करोड़ की जमाराशियां और राज्य सरकारों से रु.2,980.41 करोड़ की चुकौतियां प्राप्त हुईं. आरआईडीएफ I से IX तक के अंतर्गत कुल संचयी संवितरण रु.21,067.17 करोड़ रहा.

57. नाबार्ड ने आरआईडीएफ के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का स्वयं और ओआरजी-मार्ग तथा एएफसी लि. जैसी एजेंसियों के माध्यम से अनुप्रवर्तन कराना जारी रखा. वर्ष के दौरान, परियोजना-स्थल के दौरों के माध्यम से 8,285 परियोजनाओं का अनुप्रवर्तन किया गया. राज्य सरकारों से, 7,441 परियोजनाओं (पूर्ण परियोजनाओं का 91%) के लिए आरआईडीएफ II के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं से होने वाले लाभों के आकलन हेतु तैयार की गई खेप पूर्णता रिपोर्टें प्राप्त हुईं.

58. पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुगम बनाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए नागालैंड में वर्ष 2003-04 में ग्राम विकास बोर्डों / ग्राम विकास परिषदों के माध्यम से ऋण प्रवाहित करने की प्रायोगिक योजना शुरू की गई और नाबार्ड, नागालैंड सरकार तथा भारतीय स्टेट बैंक के बीच सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. नागालैंड में योजना के कार्यान्वयन के लिए 25 ग्राम विकास बोर्डों की पहचान की गई और रु.25 लाख के कॉरपस की व्यवस्था की गई.

परामर्शी सेवा

59. नाबार्ड कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्रा.लि. (नैबकॉन्स) 17 नवंबर 2003 को कंपनियों के पंजीयक के पास पंजीकृत की गई. इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.25 करोड़ है जिसमें से रु.5 करोड़ का पूर्ण अंशदान नाबार्ड द्वारा किया जा चुका है. अब तक नैबकॉन्स रु.1026.78 लाख के परामर्श शुल्क के 67 असाइनमैंट्स के कन्ट्रेक्ट

ले चुका है, जिनमें से 32 असाइनमैंट्स वर्ष 2003-04 के दौरान पूरे किए जा चुके हैं. कंपनी के ग्राहकों में भारत सरकार के विभिन्न विभाग, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थाएं, निगम, गैर सरकारी संगठन तथा यूनिडो, एफएओ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं एवं व्यक्ति शामिल हैं. आरएबीओ बैंक तथा अन्र्स्ट एण्ड यंग, इंडिया जैसी संस्थाओं ने भी नैबकॉन्स के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई है.

संसाधन प्रबंधन

60. नाबार्ड के वित्तीय संसाधनों में वर्ष 2003-04 के दौरान रु.7,416 करोड़ की वृद्धि हुई. यह वृद्धि खासकर वर्ष के दौरान ऑपरेटिंग सरप्लस (रु.1,121.83 करोड़), कैपिटल गेन्स बाण्ड्स (रु.1,348.68 करोड़), प्राथमिकता क्षेत्र बाण्ड्स (रु.1,498 करोड़), गैर प्राथमिकता क्षेत्र बाण्ड्स (रु.1,750 करोड), करमुक्त बाण्ड्स (रु.135.15 करोड़) तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए उधार (रु.2,500 करोड़) के कारण हुई. कुल कार्यशील निधियां 12% बढ़कर, 31 मार्च 2003 के रु.5,0071 करोड़ से, 31 मार्च 2004 को रु.55,889 करोड़ हो गईं.

61. उपुर्यक्त निधियों का उपयोग योजनाबद्ध ऋण वितरण, अल्पावधि / मध्यावधि / मध्यावधि (परिवर्तन) ऋण सहायता तथा आरआईडीएफ और गैर परियोजना ऋणों, दोनों के अंतर्गत, राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए किया गया है. कुल कार्यशील निधियों में प्रतिशत के रूप में नाबार्ड के उधारों में काफी वृद्धि हुई जो 31 मार्च 1999 के 11.23 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2004 को 27.38 प्रतिशत हो गई.

62. वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय रु.4,267.67 करोड़ हुई जो गतवर्ष की तुलना में 5.5 प्रतिशत अधिक रही.

ग्राहक संस्थाओं का क्षमता निर्माण

63. ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के कार्य और उनकी कार्यनिष्पादकता आमतौर पर कई कमजोरियों से ग्रस्त रही जिनमें कमजोर वसूली और संचित हानियां भी शामिल थीं. इसके परिणामस्वरूप इन संस्थाओं ने उभरते उदारीकृत वातावरण में, ऋण देने वाली अन्य एजेंसियों से प्रतियोगिता करने में, काफी कठिनाई महसूस की. इसके मद्देनज़र नाबार्ड ने, ग्रामीण ऋण संस्थाओं, खासकर सहकारी संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, को मजबूत बनाने के अपने प्रयास जारी रखे.

64. प्राकृऋ समितियों, जिमस बैंकों, प्रासकृग्रावि बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए ऋणों में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2002-03 के दौरान, क्रमशः 20, 16, 5 तथा 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई. रास बैंकों की लाभप्रदता में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2002-03 में सुधार हुआ, जबकि जिमस बैंकों, रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों की लाभप्रदता में कमी आयी. रास बैंकों के लाभों में सुधार की मुख्य वजह, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और मिजोरम रास बैंकों का हानि से लाभ की स्थिति में आना और महाराष्ट्र रास बैंक के लाभ में वृद्धि होना था. तथापि, सहकारी ऋण संस्थाओं के कार्यनिष्पादन में, विभिन्न राज्यों में काफी भिन्नता रही.

65. वर्ष 2002-03 के दौरान रास बैंकों और जिमस बैंकों ने एक समूह के रूप में कार्यशील निधियों का क्रमशः 0.04 प्रतिशत तथा 2.34 प्रतिशत निवल धनात्मक मार्जिन कमाया. रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों द्वारा कमाया गया निवल मार्जिन इसी अवधि के दौरान क्रमशः 1.54 तथा 1.80 प्रतिशत पर ऋणात्मक बना रहा. दीर्घावधि संरचना के ऋणात्मक निवल मार्जिनों की मुख्य वजह कमजोर वसूलियां, क्षतिग्रस्त आस्तियों के लिए किए गए वृद्धिशील प्रावधानन तथा ऊंची लेन-देन लागतें थीं.

66. 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार 30 में से 5 रासबैंक, 367 में से 102 जिमसबैंक, 98,247 में से 43,511 'पैक्स', 20 में से 10 रासकृग्रावि बैंक तथा 768 में से 469 प्रासकृग्रावि बैंक घाटे में रहे और घाटे की कुल राशि रु.7,734 करोड़ थी. सहकारी बैंकों के कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों में एनपीए का उच्च अनुपात रासबैंकों और रासकृग्रावि बैंकों के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में 31 मार्च 2003 को और बढ़ गया तथा यह एवं वसूली का कम स्तर चिन्ता के विषय बने रहे. तथापि, सहकारी संस्थाओं ने क्षतिग्रस्त अस्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किये हैं.

67. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में किये गए नीतिगत उपायों और पूंजी निवेश द्वारा पुनर्गठन से उनकी वित्तीय कार्य निष्पादकता, विशेष रूप से लाभ में वृद्धि, गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी और वसूली में सुधार का लाभदायक प्रभाव रहा. यद्यपि अपनी संचित हानियां समाप्त कर गतिशील व्यवहार्यता प्राप्त करनेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 86 से बढ़कर मार्च 2003 की समाप्ति पर 97 हो गयी, फिर भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्य निष्पादकता में अलग-अलग राज्यों में काफी भिन्नता थी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वसूली निष्पादकता का कुल स्तर जून 2001 की समाप्ति के 70.59 प्रतिशत की तुलना में जून 2003 की समाप्ति पर बढ़कर 73.53 प्रतिशत हो गया.

68. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की संसदीय प्राक्कलन समिति की सिफारिशों / ऑब्जर्वेशन्स के आधार पर, क्षेग्रा बैंकों को, अपनी वसूली, ऋण व्यापार, प्रबंध सूचना प्रणाली, आंतरिक जांच और नियंत्रण तथा स्टाफ प्रशिक्षण में सुधार लाने के लिए, उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने और की गई कार्रवाई की समीक्षा अपने निदेशक मंडल की बैठकों में करने के लिए सूचित किया गया है.

69. सहकारी संस्थाओं द्वारा संस्था विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं तैयार करना और सहमति ज्ञापन निष्पादित करना वर्ष के दौरान जारी रहा. 'संगठन विकास सहयोग' की प्रक्रिया भी जारी रही और अब तक सभी 134 सहकारी बैंकों को इसके प्रारंभिक चरण के अंतर्गत शामिल किया गया है. इससे कारोबार और अन्य मसलों के प्रति स्टाफ और प्रबंधन की मानसिकता और रुख में धारणागत अनुकरणीय बदलाव और परिवर्तन लाने में सहायता मिली. एसडीसी द्वारा समर्थित ओडीआई कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक सभी क्षेग्रा बैंकों और 50 जिमस बैंकों / रास बैंकों को शामिल किया जा चुका है.

70. सहकारी ऋण संस्थाओं के विकासात्मक कदमों के समर्थन के उद्देश्य से नाबार्ड द्वारा सीडीएफ के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है. वर्ष के दौरान इसके लिए रु.4.38 करोड़ की राशि संवितरित की गई जिससे संचयी संवितरण रु.50.87 करोड़ हो गया है. सहकारी बैंकों के कार्मिकों के प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकरण, कारोबार विकास कक्षों की स्थापना और केसीसी योजनाओं के प्रचार के लिए सीडीएफ से रु.4.86 करोड़ की राशि मंजूर की गई. प्रयोजन के अनुरूप अनुदान या उदार शर्तों वाले ऋण या अनुदान-सह-उदार शर्तों वाले ऋण के रूप में सहायता प्रदान की गई. पैक्स को उपलब्ध कराई गई सहायता का उनके जमा संग्रहण, ऐसे लेखों में वृद्धि आदि पर अनुकूल प्रभाव पड़ा.

71. दो दशकों से अधिक की अवधि में, बैंक का विकास वालंटियर वाहिनी कार्यक्रम 10,015 क्लबों के माध्यम से 30,000 ग्रामों से अधिक को शामिल करते हुए, 495 जिलों में फैल चुका है. चुने हुए कृषक क्लबों को स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया गया है. कुल मिलाकर, अब तक 1,423 क्लबों ने 12,234 स्वयं सहायता समूहों का संवर्धन किया है.

बैंकों का पर्यवेक्षण

72. वर्ष के दौरान, नाबार्ड ने 298 बैंकों (17 रास बैंकों, 191 जिमस बैंकों और 90 क्षेग्रा बैंकों) का सांविधिक निरीक्षण तथा रासकृग्राvि बैंकों सहित 10 शीर्ष स्तरीय संस्थाओं का निरीक्षण किया. क्षेग्रा बैंकों के बकाया ऋणों और अग्रिमों में सकल एनपीए के प्रतिशत में लगातार सुधार होता रहा और वह 31 मार्च 2001 के 18.84 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2003 को 14.44 प्रतिशत रह गया. इसके अतिरिक्त, 98 बैंकों (10 रास बैंकों और 88 जिमस बैंकों) का शीघ्र निरीक्षण भी किया गया. निरीक्षणों से ज्ञात हुआ कि आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का अनुचित प्रयोग/ कार्यान्वयन, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन कार्यनीतियां, अपूर्ण आंतरिक जांच और नियंत्रण तथा कमज़ोर ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्थाएं आदि कमियां इन बैंकों/संस्थाओं की कार्यप्रणाली में बनी रहीं.

73. पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में बैंक का मार्गदर्शन और निदेशन करने के प्रयोजन से गठित पर्यवेक्षण बोर्ड (बॉस) (रास बैंकों, जिमस बैंकों और क्षेग्रा बैंकों के लिए) ने वर्ष के दौरान निरीक्षण के निष्कर्षों और अनुप्रवर्तन रिपोर्टों की समीक्षा की. पर्यवेक्षण बोर्ड ने कई सहकारी बैंकों, विशेष रूप से जो लंबे समय से 1 लाख रुपये की न्यूनतम पूंजी बनाये नहीं रख सके हैं, की खराब होती वित्तीय स्थिति और अधिकांश क्षेग्रा बैंकों के अल्प ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) पर चिंता व्यक्त की. पर्यवेक्षण बोर्ड ने सहकारी बैंकों द्वारा अपने तुलन-पत्र में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए किये जाने वाले अतिरिक्त प्रकटनों की जांच करने का भी सुझाव दिया है. पर्यवेक्षण बोर्ड ने अतिरिक्त

प्रकटनों के जरिए राज्य सहकारी बैंकों और जिमस बैंकों के वित्तीय विवरणों में संतुलन और पारदर्शिता लाने के लिए 'समान लेखा प्रणाली' आरंभ करने की सिफारिश की.

74. वर्ष के दौरान, पर्यवेक्षण बोर्ड ने जिन मसलों पर चर्चा की उनमें अन्य बातों के साथ-साथ दिवालिया सहकारी बैंकों की समीक्षा, कुछ सहकारी बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षणात्मक और विनियामक कार्रवाई करने के लिए ट्रिगर प्वाइंट्स का निर्धारण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यनिष्पादकता की प्रायोजक बैंक-वार समीक्षा इत्यादि शामिल थे.

75. 31 मार्च 2004 को, 7 राज्य सहकारी बैंक और 143 जिमस बैंक संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम शेयर पूंजी अपेक्षा का पालन नहीं कर रहे थे. इन बैंकों की अस्तियों के मूल्य में कुल क्षरण 31 मार्च 2004 को रु.8,841.71 करोड़ था. वर्ष के दौरान, 4 जिमस बैंकों ने बैंकों के रूप में कार्य करना बंद कर दिया क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय जारी रखने के लिए लाइसेंस हेतु उनके आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया था.

76. वर्ष के दौरान, सहकारी बैंकों के लिए आंतरिक जांच और शाखा नियंत्रण से संबंधित मैनुअल को अद्यतन किया गया. 'लेखा परीक्षा मूल्यांकन पैमानों' को पर्यवेक्षणात्मक मूल्यांकन मानदंडों के अनुरूप लाने की दृष्टि से, पैमानों को सुनिर्धारित किया गया ताकि सांविधिक लेखा परीक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सहकारी बैंकों का सही वित्तीय आकलन सुनिश्चित हो सके .

संगठन एवं प्रबंध

77. वर्ष के दौरान, नाबार्ड के निदेशक मंडल की सात बैठकें आयोजित की गईं, जबकि कार्यपालक समिति, आरआईडीएफ के अंतर्गत ऋणों को स्वीकृत करने वाली समिति और लेखा परीक्षा समिति की क्रमशः छह, सात और पांच बैठकें हुईं.

78. श्री योगेश नंदा, अध्यक्ष, 30 जून 2003 को सेवानिवृत्त हुए. श्रीमती रंजना कुमार को अध्यक्ष और श्री वाई.एस.पी.थोरात को प्रबंध निदेशक के रूप में क्रमशः दिनांक 21 नवंबर 2003 और 17 मार्च 2004 से नियुक्त किया गया. सर्वश्री एस.एस.आचार्य, आर.बालकृष्णन और अमरेश कुमार, मुख्य महाप्रबंधक ने क्रमशः 1 जून, 1 अगस्त और 1 अक्तूबर 2003 से कार्यपालक निदेशकों के रूप में कार्यभार ग्रहण किया.

79. 31 मार्च 2003 को नाबार्ड की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अक्तूबर-दिसंबर 2003 के दौरान नाबार्ड के वित्तीय निरीक्षण का छठा दौर पूरा किया.

प्रशिक्षण और कौशल वृद्धि

80. वर्ष के दौरान, कार्यमूलक, व्यवहार संबंधी और तकनीकी विषयों पर राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय, लखनऊ में 88 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये जिनमें 1,637 अधिकारी शामिल हुए. कृषि-व्यवसाय और कृषि प्रसंस्करण, ग्रामीण आवास, कंप्यूटर आधारित परियोजना मूल्यांकन और जोखिम विश्लेषण पर भी कार्यक्रम आयोजित किये गये. इसके अतिरिक्त 653 अधिकारियों को 216 टेलरमेड और कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्ज एक्स्चेंज, वाटरशेड विकास में परिस्थितिकीय संभावनाएं जैसे क्षेत्रों के ऑफ-द-शेल्फ प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता दौरों, कार्यशालाओं आदि में नामित किया गया. साथ ही राष्ट्रीय बैंक प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ और आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद में ग्रुप 'बी' और 'सी' के कर्मचारियों के लिए 76 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 1348 कर्मचारियों ने भाग लिया.

81. वर्ष के दौरान, बैंक के 114 अधिकारियों और सहयोगी संस्थाओं के 15 कार्मिकों को विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक्सपोजर दौरों, संगोष्ठियों इत्यादि हेतु प्रतिनियुक्त किया गया. विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबंध से संबंधित नवीनतम गतिविधियों से परिचित होने के लिए 21 अधिकारियों की एक टीम ने साऊथ अफ्रीकन रिज़र्व बैंक में बैंक पर्यवेक्षण पर कार्यक्रम में भाग लिया. इसी प्रकार, ग्रामीण ऋण वितरण में बैंक रक्यात इण्डोनेशिया द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न ऋण नवोन्मेषी और संसाधन संग्रहण प्रथाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए 12 अधिकारी 'बैंक रक्यात इंडोनेशिया' के दौरे पर भेजे गए. नाबार्ड की अध्यक्ष और नाबार्ड, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य बैंकों

के नौ अधिकारियों ने फरवरी 2004 में ढाका में 'एशिया-पेसिफिक रीजनल माइक्रो क्रेडिट समिट' में भाग लिया.

82. वर्ष के दौरान, दो प्रतिनिधि मंडलों अर्थात एनआईबीएम, पुणे में बैंकिंग और विकास पर अन्तर-राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने आए नौ देशों के 13 प्रतिभागियों की एक टीम और 'डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना' के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने नाबार्ड का दौरा किया. संसदीय राजभाषा समिति ने गुजरात क्षेत्रीय कार्यालय का दौरा/निरीक्षण किया .

भर्ती / पदोन्नति

83. बैंक ने भर्ती, कैरियर विकास और कार्यनिष्पादन प्रबंध में कुशल कार्यनीति अपनाकर अपने हितों के विभिन्न फील्डों और क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया जिससे कि संगठन अपने मिशन में कामयाब हो सके. कुल 121 व्यक्तियों की अधिकारी संवर्ग में भर्ती की गई और 55 स्टाफ सदस्यों को लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया. भर्ती किए गए 121 अधिकारियों में से 74 को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त है. सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नतियों, दोनों में, उन सभी ग्रेडों में बैंक ने आरक्षण देना जारी रखा जिनमें कि भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप अजा/अजजा के लिए आरक्षण देना स्वीकार किया गया है.

अन्य विषय

84. वर्ष के दौरान, 15 क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों का निरोधक सतर्कता निरीक्षण किया गया. बैंक में कर्मचारियों को सतर्कता के प्रति जागरूक बनाने के लिए नवंबर 2003 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया.

85. बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे. उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में महिलाओं का यौन-उत्पीड़न रोकने के लिए प्रधान कार्यालय में एक केन्द्रीय शिकायत समिति और क्षेत्रीय कार्यालयों में 19 क्षेत्रीय शिकायत समितियां गठित की गईं.

86. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ सहयोग के लिए फरवरी 2004 में एक कारपोरेट रिलेशन्स सेल गठित किया गया ताकि उनसे संबंधित गतिविधियों के मामले में अच्छा और प्रभावी तालमेल बनाया जा सके. इसमें मुख्य रूप से वाटरशेड विकास, स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन, छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने आदि पर ज्यादा जोर दिया गया.

87. वर्ष 2003-04 के दौरान, प्रधान कार्यालय ने 14 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कोलकाता स्थित आंचलिक लेखा-परीक्षा कक्ष ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के 3 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया. वर्ष के दौरान, प्रधान कार्यालय के 15 विभागों का भी निरीक्षण किया गया. बैंक के निवेश-कार्यों से संबंधित लेनदेन की निर्धारित तिमाही रिपोर्टें नियमित रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजी गईं.

88. बैंक ने अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना जारी रखा. नाबार्ड की हिन्दी गृह-पत्रिका 'सृजना' को विभिन्न संस्थाओं से छह पुरस्कार प्राप्त हुए. बैंक के वेबसाइट की रूपरेखा हिन्दी में भी तैयार की गई.